

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुजफ्फरनगर
तहसील मुजफ्फरनगर
आवेदन क्र० 191330030044088
प्रमाणपत्र क्र० 023193009487

जारी दिनांक: 04/06/2019

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. वर्णिका वर्मा
श्री राकेश कुमार वर्मा
श्रीमती सरिता वर्मा
07, पटवियान सराफा बाजार



मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश राज्य की सोनार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. वर्णिका वर्मा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: निकेश गर्ग, सहायक प्रमुख, मुजफ्फरनगर
पद: निकेश गर्ग, केन्द्र प्रभारी
स्थान: 016, मुजफ्फर नगर बाई
16, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर
दिनांक: 05/06/2019
हस्ताक्षर एवं मुहर

AMIT KUMAR
Digitally Signed by AMIT KUMAR
O=Personal, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर
दिनांक: 04/06/2019

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहल आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Uarnikg